संख्याः 56/2026/320/35-4-2026/35-1099/28/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ।दिनांकः 31 मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गतकार्यों की स्वीकृति के सम्बन्धमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1111 / पूर्वांचल वि०नि०/राज्यांश/2025-26 दिनांक 08.3.2026, पत्र संख्या-1114 / पूर्वांचल वि०नि०/राज्यांश/2025-26 दिनांक 10.3.2026, पत्र संख्या-1127 / पूर्वांचल वि०नि०/राज्यांश/2025-26 दिनांक 12.3.2026, पत्र संख्या-1125 / पूर्वांचल वि०नि०/राज्यांश/2025-26 दिनांक 12.3.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गत जनपद-फतेहपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु 748.50 लाख (रूपए सात करोड़ अड़तालीस लाख पचास हज़ार मात्र, 18% जी०एस०टी० एवं लेबर सेस 01% सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 361.00 लाख (रूपए तीन करोड़ इकसठ लाखमात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था नामित की जाती है:-

(लाख रू. में)

क्र.	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (मी.)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	वि०ख० भिटौरा में सरायं डडीरा से ग्राम अलावलपुर तक संपर्क इंटरलाकिंग व नाली निर्माण	580	37.06	18.00
2	वि०ख० हथगाम हुसैनगंज कडा मार्ग से शिव बहादुर सिंह फतेह बहादुर सिंह इंटर कालेज- सेमरा-मानापुर के पश्चिम मे खेल के मैदान तक सी.सी. रोड एवं छोटी पुलिया निर्माण	160	16.75	8.00
3	वि०ख० ऐरांया ग्राम सभा सरांय इदरीस मेड़िहनपर में नरेश के घर से रामबाबू यादव के घर से होते हुए राम विशाल के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	280	21.03	10.00
4	वि०ख० भिटौरा ग्राम-बम्हरौली में रामबाबू के मकान से महेश रैदास के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	170	11.57	6.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	वि०ख० भिटौरा ग्राम-बम्हरौली में गंगादीन रैदास के मकान से पंचायत घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	170	11.68	6.00
6	वि०ख० भिटौरा में ग्राम-मोहम्मदीपुर में भैरों की चक्की से मेला मैदान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	145	11.40	5.00
7	वि०ख० भिटौरा में ग्राम मोहम्मदीपुर में मेला मैदान से रामचन्द्र पाल के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	155	11.69	6.00
8	वि०ख० भिटौरा के ग्राम दीवान का पुरवा में कन्धई के मकान से राम आसरे के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	160	11.65	6.00
9	वि०ख० हसवा ग्राम-अरबपुर (आरापुर) में राज करन लोधी के मकान से गंगाराम लोधी के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	145	11.82	6.00
10	ग्राम दादन खेड़ा में महेंद्र सिंह चौहान के घर से राम बहादुर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	200	13.75	7.00
11	ग्राम कंसाखेड़ा में गंगादीन पल के दरवाजे से अमूल डेयरी तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	150	11.86	6.00
12	ग्राम सेनीपुर मलौनी में रुद्रपाल कोटेदार के घर से शिव मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण	200	14.29	7.00
13	ग्राम भगौनापुर में डामर रोड से प्राइमरी स्कूल मंदिर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	200	15.32	7.00
14	ग्राम कमरापुर में रामराज उत्तम के दरवाजे से शिवदर्शन के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	107	8.31	4.00
15	ग्रामसभा तपनी के मजरा गोंझ में सुरेन्द्र सिंह के दरवाजे से पाथा माई मंदिर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	225	17.34	8.00
16	ग्राम दरियापुर मजरे अकिलाबाद में अजय पटेल के घर से कल्लू गौतम के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	180	13.99	7.00
17	ग्राम हरदौली में कल्लू पटेल के दरवाजे से धक्काडी पटेल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	83	7.34	4.00
18	ग्राम जाफराबाद में काली जी मंदिर से राजेश साहू के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	50	4.12	2.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

19	ग्राम रजीपुर में जय सिंह यादव के घर से सोनू सिंह गौतम के घर तक तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	150	10.96	5.00
20	ग्राम सैरपुर में देवेश पटेल (अमूल डेयरी) के दरवाजे से बासदेव का दरवाजे तक तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	150	14.60	7.00
21	ग्राम नंदौली में रामपाल के दरवाजे से सत्यनारायण के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	210	15.19	7.00
22	ग्राम सहिबापुर मजरे चक्की फैक्ट्री एरिया से सतेन्द्र पटेल के घर तक तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	260	17.45	8.00
23	ग्राम पिपौरी में शिवशंकर तिवारी के घर से दिनेश पंडित के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	95	6.09	3.00
24	ग्राम सौंह में पाथा मईया से पंचायत भवन तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	160	11.08	5.00
25	ग्राम बहरौली में जगदीश चौहान के घर से बजरंग बली मंदिर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	270	20.36	10.00
26	विकास खण्ड धाता अंतर्गत कुम्हारन डेरा मजरे उरई में मुख्य मार्ग से मोती लाल निषाद के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	300	21.59	10.00
27	विकास खण्ड धाता अंतर्गत ग्राम सैदपुर में मुख्य मार्ग से चन्द्रभान के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	300	24.15	12.00
28	विकास खण्ड विजयीपुर अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर में मुख्य मार्ग से प्राइमरी पाठशाला होकर छेदीलाल पाल के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	300	24.52	12.00
29	विकास खण्ड विजयीपुर अंतर्गत ग्राम जगतपुर में मुख्य मार्ग से दिनेश सिंह के घर होकर दुर्विजय सिंह के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	310	24.21	12.00
30	विकास खण्ड विजयीपुर अंतर्गत ग्राम मझटेनी में मुख्य मार्ग से सुरेश लोधी व दुर्गा माता के स्थान होते हुए मातादीन विश्वकर्मा के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	325	25.41	12.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

31	विकास खण्ड विजयीपुर अंतर्गत ग्राम लोहारनडेरा मजरे भसरौल में रोशन निषाद के घर से राजाराम के घर तक सी०सी० रोड एव नाली निर्माण	280	24.47	12.00
32	विकास खण्ड विजयीपुर अंतर्गत ग्राम बिकौरा मजरे गुरवल में श्यामू तिवारी के घर से कामता के घर होकर हनुमान जी के मंदिर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	320	25.23	12.00
33	विकास खण्ड धाता अंतर्गत ग्राम राईपुर में शीतला मौर्य के घर से पप्पू पासवान के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	200	16.61	8.00
34	विकास खण्ड धाता अंतर्गत ग्राम बम्हरौली में हुबराज सिंह के घर से इंद्रजीत सिंह के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	220	18.15	9.00
35	विकास खण्ड विजयीपुर अन्तर्गत ग्राम विजयीपुर में खागा किशनपुर रोड से रामगोपाल त्रिपाठी इण्टर कालेज होकर मां शीतला देवी मंदिर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	310	21.72	10.00
36	चित्रांश नगर शहर क्षेत्र फतेहपुर में श्रीमती पुष्पा सिंह के आवास से होते हुये प्रदीप सिंह चौहान के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	200	22.52	11.00
37	विकास खण्ड हथगाम ग्राम सिठौरा में रामस्वरूप सिंह के मकान से शिवभवन पासी के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	200	14.73	7.00
38	विकास खण्ड देवमई के ग्राम अमलोहना मजरे बरिगवां में प्रधानमंत्री रोड नहर से सियाराम के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	290	27.33	13.00
39	विकास खण्ड भिटौरा के ग्राम बेरा गढीवा मे राजू शुक्ला के घर के पास से राम विनोद के सामने तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	300	25.38	12.00
40	विकास खण्ड भिटौरा के ग्राम सभा लकड़ी के मजरे फतहा में (मूरत सिंह के घर से भवानी सिंह के घर तक) सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	125	11.26	5.00
41	विकास खण्ड धाता ग्राम पंचायत किशनपुर में सामुदायिक शौचालय से रामआसरे के गोडा तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	200	20.02	10.00
42	विकास खण्ड धाता ग्राम पंचायत तेंदुवा में सोनू सिंह के घर से रामबली पासवान के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	215	19.45	9.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

43	विकास खण्ड अमौली के मवई धाम में सुखलाल मेहतर के कोने से मंदिर के चारों तरफ व दिनेश सिंह के दरवाजे से रमेश सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	200	20.42	10.00
44	विकास खण्ड हथगांम के ग्राम गौसपुर में नहरपुल से विजय पाल के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	200	14.63	7.00
	योग	**9450**	**748.50**	**361.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0.01ध्2023ध्ए-2.7ध्10.2023.17;4द्धध्75 दिनांक 17 मार्चए 2023 के अनुसार देय होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारितव्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों मेंवास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं काअनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्याृ1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्तमूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुएजनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविकलागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागतमें कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गतराजकोष में जमा किया जायेगा।
28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक 16 एवं 19 पर आने वाले व्यय रु 12.00 लाख (रुपये बारह लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-83 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाएं-24 वृहद निर्माण तथा शेष कार्यों पर आने वाले व्यय रु 349.00 लाख (रुपये तीन करोड़ उनचास लाखमात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 56/2026/ 320 (1)/35-4-2026/35-1099/28/2025तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फतेहपुर।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फतेहपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, फतेहपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।